न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 02/2020 अपील/प्रतापगढ़ (GCMS 2020/00002)
पंजीयन दिनांक– 14.01.2020
निर्णय दिनांक– 12.02.2021

1. श्री जालम सिंह पिता श्री यशवंत सिंह राजपूत, निवासी हिंगोरिया, तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. पटवारी हल्का चांदौली, तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी, तहसीलदार छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

..................रेस्पोडेन्ट्स

अधिवक्ता :

श्री दुर्गासिंह शक्तावत : अधिवक्ता अपीलान्ट्स
राजकीय अभिभाषक : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान लेण्ड
रेवेन्यू एक्ट–1956 विरूद्ध जिला कलक्टर, प्रतापगढ़
के प्रकरण संख्या 52/2019 निर्णय दिनांक 13.01.2020

निर्णय

दिनांक–12.02.2021

अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 52/2019 निर्णय दिनांक 13.01.2020 के विरूद्ध दिनांक 14.01.2020 को प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य बकौल अपीलांट इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ में अपील अंतर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रकरण संख्या 1007/2019 निर्णय दिनांक 23.12.2019 तहसीलदार, छोटीसादडी के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि ग्राम हिंगोरिया, पटवार हल्का चांदौली, तहसील छोटीसादडी की आराजी संख्या 51 रकबा 1.04 तथा आराजी संख्या 55/383 रकबा 0.80 कुल किता 2 संपूर्ण रकबा 1.84 हैक्टेयर किस्म बिलानाम बंजड भूमि पर अपीलार्थी का विगत 50 वर्षो से सद्भाविक कब्जा काश्त होकर उक्त आराजीयात का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाकर उक्त भूमियों पर अपीलांट द्वारा काफी धन खर्च करके सिंचाई हेतु ट्युबवेल एवं पाई लाईन इत्यादि स्थापित कर काश्त की जाकर अपने परिवार के जीवन का निर्वहन किया जा रहा है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 52/2019 दर्ज कर निर्णय दिनांक 13.01.2020 से अपील अपीलांट खारिज कर तहसीलदार, छोटीसादडी द्वारा प्रकरण संख्या 1007/2019 में पारित निर्णय दिनांक 23.12.2019 को यथावत बहाल रखे जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 13.01.2020 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– *"बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें मुख्य रूप से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मेमों दिनांक 23.12.2019, विवादित आदेश दिनांक 23.12.2019, अधीनस्थ से प्राप्त निर्णित पत्रावली प्रकरण संख्या 1007/2019 का गहन अवलोकन अध्ययन प्रकरण में प्रचलित विधियों के तहत किया गया है।*

उपरोक्त विवेचन कि रोशनी से ज्ञात आया कि प्रकरण में विवादित आराजीयात ग्राम हिंगोरिया पटवार हल्का चांदौली तहसील छोटीसादडी की आराजी संख्या 51 रकबा 1.04 तथा आराजी संख्या 55/383 रकबा 0.80 कुल किता 2 संपूर्ण रकबा 1.84 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार राजकीय बिलानाम सरकार किस्म बंजड दर्ज है।

साथ ही कार्यालय अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम प्रतापगढ़ रिपोर्ट प्रतिवेदन दिनांक 14.11.2017 के अनुसार उक्त भूमियों के राज्यमार्ग संख्या 15 (बड़ीसादड़ी–छोटीसादड़ी–नीमच)

मुख्यमार्ग परिक्षेत्र की भूमियां होना भी संज्ञान में आया है तथा उक्त भूमियां विगत राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत् 2070–2073 जरिये नामांतरकरण संख्या 62 तथा पर्चा मौका पटवार हल्का चांदौली दिनांक 14.10.2016 के अनुसार राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित/आवंटित रही है जिन्हें पुनः बिलानाम सरकार घोषित किया जाना दर्शित रिकार्ड है।

इसी प्रकार दौराने बहस पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी खाता संख्या 42, 43, 18 के अनुसार भी अपीलार्थी के पास संयुक्त खातेदारी अधिकार से पर्याप्त भूमिया अपने परिवार के भरण पोषण हेतु उपलब्ध होना जाहिर होता है।

प्रकरण में दौराने बहस वकील अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि विवादित आराजीयात पर वर्तमान में अपीलार्थी द्वारा काश्त कर रखी है तथा उक्त रबी की फसल अंकुरित हो चुकी है जिसके पूर्ण संवर्धन तक अपीलार्थी को बेदखली से मुक्त रखा जावे तथा उक्त फसल के संबंध में निलामी की कार्यवाही अमल में लाई जावें किन्तु प्रकरण की प्रकृति एवं विवादित भूमियों की भौगोलिक एवं राजकीय स्थितियों के मद्देनजर उन्हें अतिक्रमित स्थिति में छोड़ा जाना धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरित होगा यद्यपि किसी काबिल काश्त भूमि पर अतिक्रमित स्थिति में अंकुरित फसल को नष्ट किये जाने अथवा नही किये जाने के संबंध में कोई स्पष्ट विधिक प्रावधान उपलब्ध नहीं है अपितु प्रकरण में वर्णित विवादित स्थितियां एवं मौका तथा राजस्व रिकार्ड की स्थिति तथा अतिक्रमी की प्रकृति के अध्यधीन अधीनस्थ न्यायालय (तहसीलदार, छोटीसादडी) द्वारा धारा 91 भू–राजस्व के प्रावधानों अनुरूप की गई कार्यवाही को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता है।

अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है तथा तहसीलदार, छोटीसादडी द्वारा प्रकरण संख्या 1007/2019 में पारित निर्णय दिनांक 23.12.2019 को बहाल रखा जाता है।"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री दुर्गासिंह शक्तावत उपस्थित व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 से राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 10.02.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस में बताया कि अपीलांट के द्वारा प्रकरण में वर्णित भूमियों पर विगत 50 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जेकाश्त करता चले आ रहे है जिसकी गिरदावरी एवं पी–14 में भी हल्का पटवारी द्वारा निरंतर अंकन किया जाता रहा है, अपीलांट के द्वारा अत्यधिक मेहनत व राशि खर्च कर उक्त भूमियों को उपजाऊबनाया है मौके पर पाईप लाईन व ट्यूबवेल भी लगाये गये है, अपीलांट के द्वारा गेहूं, अवाईन व जौं की रबी की फसल निरंतर बोई जा रही है। अपीलांट के द्वारा भूमियों के नियमन/आवंटन हेतु भी आवेदन तहसीलदार, छोटीसादडी के समक्ष वर्ष 2017 में प्रस्तुत किया, मामला प्रथम दृष्टया कृषि भूमि आवंटन/नियमन योग्य पाये जाने पर मूल पत्रावली आवंटन कमेटी के अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी को प्रेषित की गई। अपीलांट की आवंटन/नियमन की पत्रावली आज भी लम्बित होकर अपीलांट के विरूद्ध निस्तारित नहीं हुई है जिन भूमियों के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छोटीसादडी के द्वारा धारा 91 की कार्यवाही की गई उन्ही भूमियों को प्रथम दृष्टया आवंटन/नियमन योग्य मानते हुए तहसीलदार, छोटीसादडी के द्वारा ही आवंटन कमेटी को सिफारिश कर भिजवाई गई है, जिनका अपीलांट के पक्ष में आवंटन/नियमन होना शेष है, ऐसे में तहसीलदार, छोटीसादडी स्वय विबंध के सिद्धांत से बाधित होकर जब तक अपीलांट की आवंटन/नियमन पत्रावली अपीलांट के विरूद्ध तय न हो बेदखली की हस्तगत कार्यवाही करने से विधितः बाधित होकर दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्तनीय है, विकल्प के रूप में यह भी निवेदन है कि अपीलांट के आवंटन की पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी से तलब फरमाई जा सकती है। अपीलांट मूल रूप से काश्तकार होकर उसकी आजीविका भी मूल रूप से कृषि पर आधरित है अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ऐसे में अपीलांट को उक्त

भूमियों से बेदखल करने का आदेश आनन फानन में न्याय का गला घोंटते हुए प्रदत्त किया गया है जिस पर प्रथम अपीलाय न्यायालय में दर्ज कर दिनांक 23.12.2019 को स्थगन जारी कर तहसीलदार के आदेश की पालना स्थगित की गई एवं इसके पश्चात प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी आनन फानन में दिनांक 13.01.2020को अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया जिससे दुखित, द्रवित एवं पीडित होकर अपीलांट द्वारा आप न्यायालय में हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है, अधीनस्थ दोनो न्यायालयों के आदेश विध एवं न्याय से गंभीर त्रुटि लिये होकर पूर्ण रूप से निरस्तनीय है, साथ ही हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को संविधान प्रदत्त "राईट टू फेयर ट्रायल" के अधिकार से वंचित रखा गया है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाहियां पूर्ण रूप से दुषित हो जाती है जिससे भी अपील अपीलांट स्वीकार होने योग्य है। हस्तगत प्रकरण में वर्णित भूमियां किसी प्रकार से पूर्व अधिवासित नहीं है न ही धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नियमन से बाधित श्रेणी की भूमियां है न ही भूमिया गोचर ही है न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा भूमियों को अनारक्षित घोषित किया जा चुका है, जो कि निर्णय अंतिमता ले चुका है ऐसी स्थिति में उक्त भूमियों के अपीलांट के पक्ष में आवंटन/नियमन किया जाने कोई विधिक रूकावट नहीं है स्वयं तहसीलदार द्वारा आवंटन/नियमन की अनुशंषा की गई है तथा भूमियां अपीलांट के पक्ष में आवंटित/नियमित की जाती है तो इससे राज्य सरकार को राजस्व लगान के रूप में देय होगा उक्त भूमियों के संबंध में किसी पक्षकार का किसी प्रकार का कोई क्लेम उजर एतराज किसी तृतीय पक्ष को नहीं है। हस्तगत कार्यवाही धारा 91 के तहत की जाकर संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया है किन्तु यदि पक्षकार द्वारा संक्षिप्त विचारण में भी यदि साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा है तो महज संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया होने के कारण अपीलांट को साक्ष्य के अवसर से वंचित कर न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा साक्ष्य का अवसर प्रदान न कर एवं इस हेतु प्रस्तुत आवेदन को भी निस्तारित न कर प्रथम दृष्टया विधि की सदृश्य भूल कारित की है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी इस संबंध में अपने आदेश में विवेचन नहीं किया गया है इस कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के समक्ष प्रकरण दिनांक

13.12.2019 को दर्ज हुआ एवं दिनांक 16.12.2019 के लिए अपीलांट को नोटिस जारी किया गया एवं दिनांक 16.12.2019 को ही अपीलांट की ओर से जवाब प्रस्तुत कर साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा किन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा न तो अपीलांट का जवाब ही रिकार्ड पर लिया गया, इतना ही नहीं अपीलांट की ओर से दिनांक 23.12.2019 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के समक्ष मौखित एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का आवेदन को भी रिकार्ड पर तक नहीं लिया गया न ही निस्तारित ही किया गया, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार का आदेश प्रथम दृष्टया विधिक त्रुटि से गस्त था इसके बावजूद इस स्थिति को नजरअंदाज कर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी आनन फानन में निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट का वादग्रस्त आराजीयात पर कदिम से लगभग 50 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जेकाश्त चला आ रहा है तथा अपीलांट के द्वारा उक्त आराजीयात के आवंटन/नियमन हेतु तहसीलदार, छोटीसादडी के समक्ष आवेद प्रस्तुत कर रखा है जो कि अंतिम रूप से निस्तारित नहीं हुआ है, इसके अतिरिक्त के द्वारा की गई कब्जेकाश्त का अंकन खसरा गिरदावरी एवं पी–14 में भी दर्ज है। इतना ही नहीं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा तो अपने आदेश में प्रकरण तथ्यों एवं परिस्थितियों से इतर जाकर वादग्रस्त भूमियों राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित मान लिया गया जबकि इस संबंध में सक्षम न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा उपरोक्त आरक्षित से पुनः अनारक्षित करने बाबत निर्णय पारित किया जा चुका है जिसे आदिनांक तक किसी प्रकार की चुनौति नहीं दी गई है इसके बावजूद अपीलीय न्यायालय द्वारा इस प्रकार के तथ्य अपने आदेश में अंकित कर अपील खारिज की गई है, जो प्रथम दृष्टया विधि एवं न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश यह भी अंकित किया कि खडी/अंकुरित फसल को नष्ट नहीं किये जाने के संबंध में स्पष्ट प्रावधान नहीं है जबकि राजस्थान काश्तकारी कानून एवं भू–राजस्व कानून काश्तकारों के हितों एवं अधिकारों से संबंधित होकर माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय खडी फसल को नष्ट नहीं करने के संबंध में स्पष्ट आदेश है बावलूद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अपील खारिज कर विधि एवं न्याय की अवहेलना की गयी है। अपीलांट का मामला राजस्थान भू–राजस्व कृषि भूमि आवंटन नियमों एवं इस संबंध में राज्य सरकार द्वार प्रदत्त परिपत्रों कि भली श्रेणी में

होकर अपीलांट का मामला नियमन योग्य है, ऐसी स्थिति में अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं है विशेष रूप से ऐसी परिस्थितियों में जहां अपीलांट का मामला स्वयं तहसीलदार द्वारा नियमन हेतु प्रेषित किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमश [1966] 0 RLW (RJ) 133, 1969 RRD 539, 1975 RRD 537 एवं 2002 RRD 324 का हवाला प्रस्तुत करते अपील अपीलांट स्वीकार करने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स संख्या 1 व 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में अपीलांट के अपील मेमों में वर्णित कथनों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा राजकीय बेशकीमती भूमि को हथियाने की नियत से अतिक्रमण कर काश्त किये जाने का नाटक किया जा रहा है क्योंकि उक्त भूमि को विगत राजस्व रिकार्ड में राजकीय प्रयोजनार्थ आवंटित/आरक्षित की गई थी परन्तु अपीलांट द्वारा अपने प्रभाव से उक्त भूमियों को राजकीय प्रयोजनार्थ आवंटन आरक्षण से मुक्त करा कर बिलानाम सरकार दर्ज कराते हुए नाजायज अतिक्रमण से काश्त की जा रही है। साथ ही निवेदन किया कि उक्त भूमि (बड़ीसादड़ी–छोटीसादड़ी–नीमच) मुख्यमार्ग परिक्षेत्र की भूमि है जिसका कभी नियमन अपीलार्थी के पक्ष में नहीं किया जा सकता क्योंकि अपीलांट वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार संयुक्त रूप से 100–150 बीघा भूमि की सहखातेदार अधिकार निहित है, जिससे स्पष्ट होता है कि अतिक्रमी कोई भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में भी नहीं आता है और यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि राजकीय भूमि का अतिक्रमी सदैव अतिक्रमी ही रहता है उसे जब तक समुचित आदेश बाबत आवंटन/घोषणात्मक डिक्री या नियमन के आदेश नहीं प्राप्त हो जाते है। प्रश्नगत प्रकरण में विवादित अतिक्रमित भूमियां आज भी राजस्व रेकार्ड में राजकीय बिलानाम खसरे होकर राज्यमार्ग (बड़ीसादड़ी–छोटीसादड़ी–नीमच) मुख्यमार्ग परिक्षेत्र की भूमियां है जिन्हें सड़क सीमा से अवाप्त किा जाना तय है। अपील अपीलांट खारिज किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में सर्वप्रथम हम अपीलाण्ट द्वारा पेशशुदा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के आवेदन पर विचार करना उचित समझते हैं। अपीलाण्ट द्वारा उक्त आवेदन में एक सत्यापित प्रतिलिपि तहसीलदार, छोटीसादड़ी

के डाक पंजिका की पेश की है, जिसमें 25.03.2014 को उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी को कृषि भूमि आवंटन/नियमन करने बाबत् मूल पत्रावलियां महिवर्धनसिंह, जालमसिंह एवं लोकेन्द्र कुंवर राजपूत निवासी हिंगोरिया को भेजना वर्णित किया गया है। उक्त सत्यापित प्रतिलिपि से यह प्रकट नहीं आता है कि ये पत्रावलियां किन आराजीयात बाबत् थी तथा किसी ग्राम की थी, तद्नुसार यह दस्तावेज इस प्रकरण से सुसंगत होना प्रमाणित नहीं है, अतएवं आवेदन अपीलाण्ट खारिज किया जाता है।

अब हम प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा पेशशुदा अपील के गुणावगुण पर विवेचन करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि विवादित भूमियां राजकीय भूमि है तथा इस पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण है। अपीलाण्ट ने अपनी अपील एवं लिखित बहस में जो प्रमुख उज्र उठाये हैं, उन पर हमारा बिन्दुवार विश्लेषण एवं निष्कर्ष निम्नप्रकार है –

1. **अपीलाण्ट का सर्वप्रथम उज्र यह है कि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया।**

हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि अपीलाण्ट को पर्याप्त अवसर प्राप्त था परन्तु अपीलाण्ट द्वारा किसी भी न्यायालय में ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे इस भूमि का राजकीय नहीं होना, उस पर उसका अधिपत्य को विधिक माना जाना, विवादित भूमि पर उसकी नियमन की पात्रता होना या उसके पक्ष में कोई नियमन की अनुशंषा करना वर्णित हो, तद्नुसार अपीलाण्ट ने किसी भी स्तर पर ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों में कोई तात्विक त्रुटि मानी जाये। अपीलाण्ट का यह उज्र समाअत योग्य नहीं है।

2. **अपीलाण्ट ने अन्य उज्र यह लिया है कि राजनीतिक दबाव व द्वेषता से प्रकरण का औसत समय से कम समय में निर्णय कर दिया है।**

न्याय का प्रमुख सिद्धान्त है कि **Justice deleyed is jutice denied.** अतः कोई न्यायालय किसी प्रकरण में विधिपूर्वक निर्णय शीघ्र पारित करता है तो औसत से कम समय में निर्णय करने को बचाव का आधार नहीं बनाया जा सकता, अतएवं अपीलाण्ट का यह उज्र समाअत योग्य नहीं है। जहां तक राजनैतिक दबाव व द्वेषता का प्रश्न है, ऐसी कोई साक्ष्य रेकार्ड पर नहीं है।

3. **अपीलाण्ट ने अन्य उज्र यह लिया है कि वह 50 वर्षों से विवादित भूमि पर काबिज है तथा उसने इस भूमि को आबाद किया है तथा इस भूमि के नियमन का आवेदन तहसीलदार, छोटीसादड़ी के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है।**

प्रकरण में हमें किसी भी स्तर पर अपीलाण्ट का 50 वर्षों का कब्जा होने की कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुई है। नियमन किये जाने के लिए एक तरफ तो अपीलाण्ट न्यायालय में अपील प्रस्तुत करते समय दिनांक 14.01.2020 को यह कथन करता है कि उसने तहसीलदार के समक्ष आवेदन पेश कर रखा है एवं दूसरी ओर वह आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के पेशशुदा आवेदन में तहसीलदार से दिनांक 25.03.2014 को ही पत्रावली उपखण्ड अधिकारी को भिजवाया जाना वर्णित करता है। हमारे समक्ष उक्त प्रकरण में अपीलाण्ट के कब्जे को पात्रता एवं कब्जे की अवधि को लेकर अपीलाण्ट के पक्ष में कोई नियमन अनुशंषा उपलब्ध नहीं है, अतएवं अपीलाण्ट का यह उज्र भी मान्य नहीं है।

4. **अपीलाण्ट का अन्य यह है कि अधीनस्थ न्यायालय (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा राजकीय भूमियों को राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित मान लिया, जो गलत है।**

हम यह पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में भूमियों को राजकीय भूमि प्रयोजनार्थ मानकर ही तहसीलदार के निर्णय को बहाल रख है, अतएवं अपीलाण्ट का यह उज्र भी समाअत योग्य नहीं है।

अपीलाण्ट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की है, जिस पर हमारा विवेचन निम्नप्रकार है –

(अ)– 1996 आर.एल.डब्ल्यू. (आर.जे.) 133/1966 सुप्रीम राज पेज–46।

इस न्यायिक नजीर में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि निर्धारित शर्तों की पालना किये जाने पर काश्तकार को बेदखल नहीं कर नियमित किया जाना चाहिये। इस प्रकरण में हम यह पाते हैं कि अपीलाण्ट शर्तों की पालना पूरी करता हो अथवा उसकी पात्रता हो इस बाबत् उसके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई, अतएवं इस नजीर के तथ्य अपीलाण्ट की अपील पर चस्पा नहीं होते।

(ब)– आर.आर.डी. 1996 पेज 539।

यह नजीर बिन्दु संख्या ''अ'' में वर्णित अनुसार नजीर ही है, अतएवं इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती।

(स)– आर.आर.डी. 1975 पेज 537।

यह नजीर मूलतः मियाद कण्डोन से संबंधित है, जिसके तथ्य इस प्रकरण से सुसंगत नहीं है।

(द)– आर.आर.डी. 2002 पेज 324।

यह नजीर मूलतः चारागाह भूमि होने या राजकीय भूमि होने या आबादी की होने के बाबत् विवाद को लेकर अतिक्रमी के कब्जे से संबंधित है, जिसके तथ्य इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते।

उपरोक्त समग्र विवेचन से हम यह पाते हैं कि अपीलाण्ट का राजकीय भूमि पर अतिचार है तथा राजकीय भूमि पर किसी भी अतिचार को बेदखल किये जाने के लिए विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है जब तक कि अतिक्रमी नियमन की पात्रता एवं निर्धारित शर्तों की पालना नहीं करता हो। अपीलाधीन प्रकरण में ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे अपीलाण्ट नियमन की पात्रता एवं शर्तों की पूर्ति करता हो, तद्नुसार हम अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा अपीलाण्ट की बेदखली बाबत् पारित निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते, अतएवं अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

एल.एन.मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

एल.एन.मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर